रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, बुधवार अक्तूबर, 25, 1989/कार्तिक 3, 1911
No. 199] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 1989/KARTIKA 3, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं. 172/आई टी सी (पी एन)/88-91

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1989

विषय :—अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 के लिए प्रक्रिया पुस्तक ।

फा. सं. एचवी/3/10/88-91.— वाणिज्य मंत्रालय की 30 मार्च, 1988 की सार्वजनिक सं. 2-आई टीसीपीएन)/88-91 के अन्तर्गत प्रकाशित यथा संशोधित अप्रैल, 1988-मार्च, 1991 के लिए प्रक्रिया पुस्तक की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :—

2. इस प्रक्रिया पुस्तक के निम्नलिखित संशोधन नीचे लिखे उपयुक्त स्थानों पर दिए जाएंगे :—

क्रम सं.	प्रक्रिया पुस्तक 1988-91 की पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	23 (24)	अध्याय-तीन पूंजीगत माल विज्ञापन प्रक्रिया पैरा-175(1)	इस पैरे के प्रथम वाक्य को निम्नोक्त द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "जहां कहीं विज्ञापन प्रक्रिया से बाजदावा सचिव (तकनीकी विकास) और डी.जी.टी.डी. द्वारा स्वीकृत किया गया हो, को छोड़कर 25 लाख रु. से अधिक मूल्य के पूंजीगत माल के मांगकर्ता आयातक को अपनी अपेक्षा का विज्ञापन नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार देना चाहिए ताकि इच्छुक देशी विनिर्माता इसके सम्बन्ध में पहले उत्तर दे सके ।

1	2	3	4
2	23-24 (24-25)	अध्याय तीन पूंजीगत माल विज्ञापन प्रक्रिया पैरा 177	इस पैरे को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि (मांगकर्त्ता) आवेदक को उपलब्ध होगी। देशी विनिर्माता को आफ़र भेजते समय सम्बन्धित विज्ञापन सम्बन्धी पत्रिका का नाम और तारीख और क्रम सं. को स्पष्ट रूप में दर्शाना चाहिए। मूल आफ़र को विज्ञापन देने वाले के पास सीधे ही भेजा जाना चाहिए और उसकी प्रति (क) तकनीकी विकास महानिदेशालय, समन्वय अनुभाग उद्योग भवन, नई दिल्ली और डी.जी.टी.डी. के प्रायोजित निदेशालय/अन्य सम्बन्धित प्रायोजित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकृत पावती देय डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए। विज्ञापन कर्त्ता (मांग कर्त्ता आवेदक) को विज्ञापन में डी.जी.टी.डी. के प्रायोजक निदेशालय का नाम/अन्य प्रायोजित अधिकारियों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। प्रस्ताव में विशिष्टिकरण सम्बन्धी विस्तृत विवरण और मद सम्बन्धी पर्याप्त अन्य विवरण दिया जाना चाहिए जिसको आपूर्ति देशी विनिर्माता करने की स्थिति में हो वितरण की अवधि जिसे सुनिश्चित किया जा सकता है, मूल्य और अन्य महत्वपूर्ण सूचना भी दी जानी चाहिए। अन्य वास्तविक उपभोक्ता जिनके पास अपनी आवश्यकता से सी.जी. सरप्लस है वे भी इसी प्रकार से अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं।"

3. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं। कालम सं. 2 में कोष्टकों में दी गई सं. 21 मार्च, 1989 तक यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक की पृष्ठ सं. दर्शाता है।

तेजेन्द्र खन्ना,
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 172—ITC(PN)/88-91

NEW Delhi, the 25th October, 1989

SUB : Hand Book of Procedures for April, 1988—March, 1991

F.No. HB/3/10/88-91.—Attention is invited to the Hand Book of Procedures for April, 1988—March, 1991 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC(PN)/88-91 dated the 30th March, 1988 as amended

2. The following amendments shall be made in the said book at appropriate places indicated below:—

S.No.	Page No. of Hand Book of Procedures 1988-91	Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	23 (24)	CHAPTER-III CAPITAL GOODS Advertisement Procedures Para 175(1)	The first sentence in this para shall be substituted by the following: "Except where a waiver from advertisement procedure has been granted by Secretary (Technical Development) & DGTD, the intending importer of capital goods valued at more than Rs. 25 lakhs should advertise his requirement in the manner given below, so as to enable interested indigenous manufacturers to respond thereto first."

2.	23-24 (24-25)	CHAPTER III CAPITAL GOODS Advertisement Procedures Para 177	This para shall be substituted by the following:— "The period of 45 days from the date of publication of the advertisement shall be available to the (Indenting) applicant. The indigenous manufacturers while sending offer should clearly indicate the S.No., Date and Name of the Journal of the concerned advertisement. The original offer should be sent to the advertiser directly and copy should be sent to (a) Directorate General of Technical Development, Coordination Section, Udyog Bhavan, New Delhi and (b) Sponsoring Dte. of DGTD/other Sponsoring authorities concerned, all by registered A/D within the prescribed time limit. The advertiser (Indenting applicant) should clearly mention name of the sponsoring Dte. in DGTD/ other sponsoring authorities in the advertisement. The proposal should give detailed specifications and sufficient other particulars of the items which the indigenous manufacturers are in a position to supply, the period of delivery that can be assured, prices and other material information. Other actual users having C.G. surplus to their own requirements may also send their proposal like-wise."

3. The above amendments have been made in Public interest. The number in brackets in Col. 2 indicates the page number of the Hand Book of Procedures, as amended upto 31st March, 1989.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989